न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
(1) 12/96/18	31–07–2018	30–07–2019

01. देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुभाष सिंघल जाति महाजन निवासी ग्राम अलावडा उचित मूल्य दूकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 04–05–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1289/2004 प्रकरण संख्या 53/2017

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
(2) 12/97/18	31–07–2018	30–07–2019

01. अमीचन्द पुत्र श्री छोटे लाल जाति जाटव निवासी ग्राम अलावडा उचित मूल्य दूकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 04–05–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1505/2012 प्रकरण संख्या 51/2017

(3) अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/99/18	07–08–2018	30–07–2019

01. कमरू पुत्र श्री जुहूर खां जाति मेव निवासी ग्राम अलावडा उचित मूल्य दूकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 04–05–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1027/2001 प्रकरण संख्या 52/2017

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

उक्त तीनों अपीलों एक ही अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 04–05–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1289/2004, 51/2017 एवं 52/2017 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। तीनो अपीलों के विषयवस्तु समान होने के कारण एक साथ सम्मिलित किया गया। तीनों अपीलों बहस सुनी जाकर निर्णय किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक से सलंग्न की जावें। से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अपीलान्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत ने अपीलीय आदेश दिनांक 4.5.18 से पूर्व

अपीलान्ट्स का प्राधिकार पत्र दिनांक 9.2.17 को निलम्बित किया गया था, निलम्बित बाबत अपीलान्ट को कोई कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही प्राप्त हुआ। दिनांक 7.2.17 जो जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार की है वो जांच रिपोर्ट ग्राम पंचायत अलावडा की तीनों उचित मूल्य दुकान यथा अपीलान्ट की 1/3 भाग एवं 1/3 भाग कमरूदीन व 1/3 भाग देवेन्द्र कुमार की उचित मूल्य दुकानों का संयुक्त रूप से की गई है। अपीलान्ट्स निलम्बित आदेश दिनांक 9.2.17 के पश्चात् बार बार तहत अदालत में अपने निलम्बित प्राधिकार पत्र को बहाल करने के चक्कर लगाते रहें लेकिन प्रारम्भ में तहत अदालत के अधिकारी द्वारा अपीलान्ट्स को यह कहा जाता रहा कि 90 दिन पश्चात् प्राधिकार पत्र स्वतः ही बहाल हो जावेंगा, परन्तु प्राधिकार पत्र के निलम्बित के 90 दिवस अवधि पश्चात भी प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया गया है। तहत अदालत के पूर्व डी0एस0ओ0 द्वारा प्राधिकार पत्र नही करने पर नवीन डी0एस0ओ0 से प्राधिकार पत्र बहाल कराने का निवेदन किया गया तो उन्होनें जाहिर किया कि प्रकरणों में पुनः जांच करवायेगें जिस पर उनके द्वारा दो प्रवर्तन निरीक्षकों से ग्राम पंचायत अलावडा की तीनों उचित मूल्य दूकानों की जांच दिनांक 23.3.18 को करवाई गई, जो अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में की गई है। तहत अदालत द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.2.17 को जारी किया गया जो अपीलान्ट्स को प्राप्त नहीं हुआ यदि प्राप्त होता तो अवश्य ही अपीलान्ट्स अपना जवाब तहत अदालत को प्रस्तुत करतें। दिनांक 23.3.18 की जांच में प्रवर्तन निरीक्षक वक्त निरीक्षण मौजूदा उपभोक्ताओं ने बताया कि पूर्व राशन डीलर कमरूदीन, अमीचन्द, देवेन्द्र द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री दी जाती थी और राशन डीलर का कार्य व्यवहार भी अच्छा था। राशन डीलर के निलम्बन के बाद राशन डीलर के निलम्बन के बाद से राशन मिलने में परेशानी हो रही है। उपभोक्त जुहरू ने अपने बयानों में बताया कि उसे पहले राशन सामग्री मिलती थी परन्तु अब नहीं मिलती है। इस उभोक्ता का ऑनलाईन रिकार्ड चैक करने उसे खादय सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होना पाया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट देवेन्द्र द्वारा उपभोक्ता जुहरू को पूर्व में राशन सामग्री वितरित की गई है। अपीलान्ट्स को उवित मूल्य दुकान पर वितरण हेतु तहत अदालत के यहॉ से राशन सामग्री यथा कैरोसीन, गेहूँ व चीनी एक साथ उपभोक्ताओं को वितरण हेतु प्राप्त नही होती है बल्कि माह में समय समय पर उचित मूल्य सामग्री प्रदान की जाती है जिसे प्राप्त होने पर उपभोक्ताओं को वितरित किया जाता है। उचित मूल्य दुकान के उपभोक्ताओं के समय पर उचित मूल्य सामग्री का वितरण पॉस मशीन के जरिये किया जाता है। किसी प्रकार की अनियमितिता नहीं बरती गई और ना ही अनियमितता बाबत कोई शिकायत अपीलान्ट्स के विरूद्व किसी भी व्यक्ति या उपभोक्ता की रही है। तहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद नहीं रही है कि जिससे अपीलान्ट्स के विरूद्व मनगंढत रूप़ से विरचित किये गये आरोप सि़द्व व साबित होते हो के बावजूद अपीलीय आदेश पारित किया गया है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात् निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए, 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है। जैसा कि श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव खाघ नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 2.9.08 एवं 7.7.09 में दिशा निर्देश दिये हुए है। उसके बावजूद तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण 20 माह की अवधि व्यतीत हो जाने बावजूद करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलान्ट्स वर्ष 2001, 2004 एवं 2012 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है। अपीलान्ट्स द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आ़लोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4.5.18 की जानकारी होने के पश्चात् नकल हेतु आवेदन दिनांक 7.5.18 व 21.5.18 को किया गया जिस पर नकल दिनांक 24.7.18 को बनकर अपीलान्ट्स को प्राप्त हुई नकल बनाने एवं मिलने के दिन

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

मुजरा किये जाकर अपील अन्दर अवधि पेंश है। अपीलान्ट्स का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 2, 9 एवं 17सी के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। अपीलान्ट्स का यह कृत्य राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पस्ट उल्लधंन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि तीनों उचित मूल्य दूकानों की जांच दिनांक 23.3.18 को करवाई गई, जो अपीलान्ट्स की अनुपस्थिति में की गई है। तहत अदालत द्वारा कारण बताओं नोटिस दिनांक 9.2.17 को जारी किया गया जो अपीलान्ट्स को प्राप्त नहीं हुआ यदि प्राप्त होता तो अवश्य ही अपीलान्ट्स अपना जवाब तहत अदालत को प्रस्तुत करतें। दिनांक 23.3.18 की जांच में प्रवर्तन निरीक्षक वक्त निरीक्षण मौजूदा उपभोक्ताओं ने बताया कि पूर्व राशन डीलर कमरूदीन, अमीचन्द, देवेन्द्र द्वारा नियमित रूप से राशन सामग्री दी जाती थी और राशन डीलर का कार्य व्यवहार भी अच्छा था। राशन डीलर के निलम्बन के बाद राशन डीलर के निलम्बन के बाद से राशन मिलने में परेशानी हो रही है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मनमाने रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत की पत्रावली की आर्डर शीट में दिनांक 7.2.17 से दिनांक 4.5.18 तक कही भी अपीलान्ट को कोई सूचना या नोटिस आदि जारी नही किया गया है ना उसके डिस्पेच नम्बर आदि आर्डर शीट पर डाले गये, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 4.5.18 को निरस्त कर दिया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को जवाब पेश करने का भी तहत अदालत ने कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सही प्रतीत होते है। बिना जवाब पेंश किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपील अपीलान्ट स्वीकार होकर रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 4–05–2018 निरस्त किया जाकर, अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 1289/2004, 51/2017 एवं 52/2017 बहाल किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को आरोपों के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई अवसर/साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर